न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र – 9/2016

चन्दू सिह माली पुत्र स्व0 श्री हीरालाल जी माली जाति माली उम्र करीबन 52 वर्ष निवासी शिव कालोनी गुलाबाडी अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती ममता जैन पत्नी श्री सत्येन्द्र कुमार जैन उम्र करीबन 38 वर्ष जाति जैन निवासी ए 58 मधुवन कालोनी नाका मदार अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर

अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मृणाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. राजकीय पेरोकार

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

आदेश दिनांक 20.08.2019

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित जिन्हें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी के वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये स्वीकार किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4910 मिन रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम अजमेर थोक मालियान तहसील व जिला अजमेर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी का नामान्तकरण जमाबंदी संवत 2020 से 2023 में गलत तौर पर मुकुन्दराम पुत्र श्री मंगलदेव जाति राजपूत के नाम दर्ज हो गई तथा मुकुन्दराम की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी जरिये नामान्तरण संख्या 110 दिनांक 10.12.1992 के द्वारा मुकुन्दराम एवं उसके पुत्र स्व करण सिह के बजाय श्रीमती कमला देवी बेवा करण सिह, महेन्द्र सिह, दिलीप सिह पुत्र करण सिह के नाम पर दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी श्रीमती कमला देवी महेन्द्र सिह, दिलीप सिह पुत्र करण सिह के नाम पर दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी श्रीमती कमला देवी महेन्द्र सिह व दिलीप सिह वारिसान करण सिह के द्वारा जरिये मुख्त्यारआम भागचन्द दिनांक 20.1.2004 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से देवकरण पुत्र श्री किशना एवं कैलाश पुत्र श्रवणलाल जाति गुर्जर को बेच दी गई। उसके पश्चात उक्त आराजी देवकरण पुत्र श्री किशना एवं कैलाश पुत्र श्री श्रवणलाल के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.9.2007 को अंजली जैन पत्नी सुधीर जैन को बेचान कर दी गई। उसके पश्चात अंजली जैन पत्नी श्री सुधीर कुमार जैन ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 16.4.2008 के द्वारा हाल अप्रार्थिया संख्या 1 को बेचान कर दी गई। उक्त सभी बेचान का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नही किया गया जिससे उक्त बेचान की जानकारी हाल प्रार्थी को नही हुई। उक्त सभी बेचान र0 श्री मुकुन्दराम पुत्र श्री मंगलदेव का नाम गलत तौर पर राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज होने के कारण शुरू से ही प्रभावहीन व शून्य है तथा उक्त दस्तावेजाता से हाल प्रतिवादिया संख्या 1 को भी हक व अधिकार विवादित आराजी में प्राप्त नही है। विवादित आराजी पर आज दिनांक को कब्जा भी प्रार्थी का ही है तथा साबिक जमाबंदी में उक्त आराजी प्रार्थी के पूर्वजो के नाम पर ही दर्ज है परन्तु केवल मात्र एक गलत

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

नामान्तरण के आधार पर उक्त आराजी स्व0 मुकुन्दराम पुत्र श्री मंगलदेव के नाम पर दर्ज हो जाने के कारण उसके वारिसानो के द्वारा गैर कानूनी रूप से वेच दी गई जिसको बेचने का उसके वारिसानो को कोई अधिकार नही था। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि गलत नामान्तरण के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है एवं उक्त गलत नामान्तरण के आधार पर किए गए समस्त बेचान शुरू से ही शून्य और प्रभावहीन होते है एवं उक्त बेचानो से भी केता को कोई खातेदारी सम्पत्ति में प्राप्त नही होते है। इसलिये उक्त समस्त बेचान जो कि गलत नामान्तरण के आधार पर किए गए है उससे हाल अप्रार्थिया संख्या 1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। हाल अप्रार्थिया संख्या 1 के द्वारा उक्त गलत विक्रय पत्र के आधार पर विद्वान सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) नगर पूर्व अजमेर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उक्त वाद पत्र भी विद्वान सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) नगर पूर्व अजमेर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक ..... से खारिज फरमा दिया गया । जिससे यह पूर्ण रूप से सिद्व होता है कि हाल अप्रार्थिया संख्या 1 को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस प्रकार हाल प्रार्थी स्वयं के नाम पर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड खातदोर दज्र करवाने का अधिकार है क्योंकि उक्त भूमि साबिक जमाबंदी में प्रार्थी के पूर्वजो क नाम पर दर्ज है तथा घरेलू बंटवारे मे प्रार्थी को प्राप्त हुई है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिये स्थायी निषेघाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 4910 मिन रकबा 16 बिस्वा पर ना तो स्वयं ना ही अपने ऐजेन्ट, कर्मचारी, असाईनीज इत्यादि से किसी प्रकार की मदालखत व दखलअन्दाजी उत्पन्न करे ना करावे एवं ना ही विवादित आराजी को रहन बया मुन्तकिल करे।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हेतु बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 4910 मि0 का रकबा 16 बिस्वा की राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2020–2023 में गलत नामान्तकरण से मुकन्दराम पुत्र मंगलदेव जाति राजपूत के नाम दर्ज हो गई यक कथन मनगढन्त आधाहीन प्रस्तुत किए है। वादग्रस्त भूमि अपार्थिया संख्या 1 ने पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया है तथा प्रार्थी ने इस मद संख्या 02 में गलत कथन किये है कि

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

नामान्तरण के आधार पर उक्त आराजी स्व0 मुकुन्दराम पुत्र श्री मंगलदेव के नाम पर दर्ज हो जाने के कारण उसके वारिसानो के द्वारा गैर कानूनी रूप से वेच दी गई जिसको बेचने का उसके वारिसानो को कोई अधिकार नही था। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि गलत नामान्तरण के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है एवं उक्त गलत नामान्तरण के आधार पर किए गए समस्त बेचान शुरू से ही शून्य और प्रभावहीन होते है एवं उक्त बेचानो से भी केता को कोई खातेदारी सम्पत्ति में प्राप्त नही होते है। इसलिये उक्त समस्त बेचान जो कि गलत नामान्तरण के आधार पर किए गए है उससे हाल अप्रार्थिया संख्या 1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। हाल अप्रार्थिया संख्या 1 के द्वारा उक्त गलत विकय पत्र के आधार पर विद्वान सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) नगर पूर्व अजमेर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उक्त वाद पत्र भी विद्वान सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) नगर पूर्व अजमेर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक ..... से खारिज फरमा दिया गया । जिससे यह पूर्ण रूप से सिद्व होता है कि हाल अप्रार्थिया संख्या 1 को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस प्रकार हाल प्रार्थी स्वयं के नाम पर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड खातदोर दज्र करवाने का अधिकार है क्योंकि उक्त भूमि साबिक जमाबंदी में प्रार्थी के पूर्वजो क नाम पर दर्ज है तथा घरेलू बंटवारे मे प्रार्थी को प्राप्त हुई है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिये स्थायी निषेघाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 4910 मिन रकबा 16 बिस्वा पर ना तो स्वयं ना ही अपने ऐजेन्ट, कर्मचारी, असाईनीज इत्यादि से किसी प्रकार की मदालखत व दखलअन्दाजी उत्पन्न करे ना करावे एवं ना ही विवादित आराजी को रहन बया मुन्तकिल करे।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हेतु बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 4910 मि0 का रकबा 16 बिस्वा की राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2020–2023 में गलत नामान्तकरण से मुकन्दराम पुत्र मंगलदेव जाति राजपूत के नाम दर्ज हो गई यक कथन मनगढन्त आधाहीन प्रस्तुत किए है। वादग्रस्त भूमि अपार्थिया संख्या 1 ने पंजीकृत विकय पत्र से खरीद किया है तथा प्रार्थी ने इस मद संख्या 02 में गलत कथन किये है कि

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उक्त सभी बैचान का नामान्तकरण राजस्व रेमार्ड में नही किया गया है जवकि राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी बैचान का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा अप्रार्थिया संख्या 01 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर रेकार्डेड खातेदार के रूप में काबिज होकर उपयोग कर रही है जिसकी समुचित जानकारी प्रार्थी को रही है केवल मात्र अनुचित लाभ उठाने की नियति से झूठे प्रकरण पेश किये है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है ना ही कभी रहा है बल्कि राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार ने पंजीकृत विक्रय पत्र से बैचान कर कब्जा खरीदारान को सम्भलाया है जिससे राजस्व रेकार्ड में अंकन भी दर्ज किया है और अप्रार्थिया संख्या 01 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की रेकार्डेड खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में गलत नामान्तकरण के आधार पर इन्द्राज होने के कथनो को दोहराया है लेकिन स्पष्ट कथन नही किये है कि गलत नामान्तकरण किसके द्वारा कौनसी दिनांक को किया गया उसकी संख्या क्या है और उस नामान्तकरण की प्रार्थी ने आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय ने कोई चुनौती क्यो नही दी और अगर दी तो उसके क्श्या परिणाम रहे है। जिससे प्रार्थी ने अस्पष्ट अधूरे कथनो से परिपूण्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे दीवानी की वाद की संख्या अंकित नही की है ओर ना ही निर्णय की दिनांक अंकित है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि दीवानी न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.7.2015 के द्वारा वाद को विधि द्वारा वर्जित होना पाया जाने से सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिये लोटाये जाने का आदेश दिया है जिससे अप्रार्थिया के हितो पर किसी भी प्रकार का कोई विपरित प्रीााव नही पडा है । जिससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन न्यायालय को गुमराह करने की नियति से प्रस्तुत किये है जिससे प्रकरण को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थी ने कथनो में यह भी स्पष्ट नही किया है कि घरेलू बंटवारा कब हुआ किन किन के बीच हुआ जिससे भी प्रार्थी के कथन अस्पष्ट अपूर्ण भ्रमात्मक होने से स्वीकार योग्य नही है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में केवल मात्र अप्रार्थिया संख्या 01 रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है जिससे प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति होने का कोई औचित्य ही शेष नही है तथा प्रार्थी ने अतिन्म मद में जिस प्रकार से जो अनुतोष चाहा है वह मिथ्या,असत्य, कथनो से परिपूर्ण होने से स्वीकार किये जाने

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

योग्य नही है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चे के निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी रेकाडैड खातेदारी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेज का सादर अवलोकन किया हमने पाया कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं है । वादी/प्रार्थी विवादित भूमि के काबिज काश्त हो इस बात का कोई साक्ष्य वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। हम प्रतिवादी अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि काबिज खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेघाज्ञा विधि अनुसार जारी नही की जा सकती इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होता है। यदि अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है तो वादी/प्रार्थी के बजाय प्रतिवादीयॉ/अप्रार्थीयॉ को असुविधा होगी, व सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति भी वादी/प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीयॉ काबिज खातेदार के पक्ष में हैं उपरोक्त बिन्दुओ में से एक भी बिन्दु वादी/प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विशलेषण वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 20.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner